

**फर्द अहकाम**

(नियम 28)

अज अदालत ..... उपस्थित कृषिदात्री ..... सिकराय .....  
 सरकार बनाम ..... साके प/३ न/३३ .....  
 किरम मुकदमा ..... क्रानदात्री ..... मु० नं० ..... ३/२० .....

शेख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12-20	<p>पत्रावली पेशा/कृषिदात्री प्रती इफ्त पकी-मुसा (क्रि 13-1-20 के पत्रमल)</p> <p><i>Dr</i>                      अखण्ड अधिकारी                      सिकराय जिला-दौसा</p>	
3-1-21	<p>पत्रावली पेशा। कहल बाबदायरी सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली 22-1-21 के पेशा हो।</p> <p><i>Dr</i></p>	
2-1-21	<p>पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उभयपक्ष के कहल के तथ्यों पर गौर किया गया। राजस्व न्यायालय द्वारा दि. 21-1-20 के अपील नामान्तरण पत्रावली के अदम पेशी में खारिज किया गया। उक्त निर्णय अपीलकर्ता व उनके आदीवक्ता की अदम हाजरी के कारण किया गया है। पक्षी सक्षम न्या. में अपील दायर कर अनुवोध प्राप्त कर सक्ता है। पक्षीमा पत्र बाबदायरी पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।</p> <p><i>Dr</i>                      (रवाजीत सिंह)                      अखण्ड अधिकारी                      सिकराय जिला-दौसा</p>	

